न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2015/234 दायर दिनांक 15.12.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. चुनाराम पुत्र भैराराम 2. हुक्माराम पुत्र भैराराम 3. भींवाराराम पुत्र भैराराम समस्त जाति जाट निवासीगण मौलासर तह. डीडवाना।	बनाम्	1 तहसीलदार डीडवाना 2.उप तहसीलदार मौलासर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–
1. श्री हीरसिंह बलारा अधिवक्ता वादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक **23.11.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, खेत ख. न. 186 रकबा 41 बीघा खसरा स.195 रकबा 24.08 बीघा कुल 65.08 बीघा वाके मौलासर स्थित है। जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की नकल सम्वत 2068 से 2071 वाद के साथ पेश है। खसरा संख्या 189 रकबा 2.13 बीघा गैर मुमकिन रास्ता वाके सरहद मौलासर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। नकल जमाबन्दी 2068 से 2071 तक वाद के साथ पेश है।

खेत खसरा. 186 व 195 दोनों पहले एक ही खेत था लेकिन बीच में से राजस्व रेकर्ड में कटाणी रास्ता दर्शाने के कारण खेत के दो टुकडे हो गये जबकि मौके पर रास्ता नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ शुरू से लेकर आज तक बहता आया है। जो कदीमी है। तथा मौके पर रास्ता वर्षो पुराना जमा हुआ है। तथा वर्तमान में चालु हालत में है। तथा इस रास्ता से खेतों वालो का आना जाना गाडी छकडा टैक्टर आदि लाते ले जाते रहे है। तथा यह रास्ता 20 फुट चौडा है तथा आवागमन के लिये उचित है। जबकि राजस्व रेकर्ड में दर्शोय रास्ता मार्क बी एफ कभी भी मौके पर मौजुद

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

नही रहा और न वर्तमान में मौजुद है। वादी ने अपने वाद के साथ नजरी नक्शा पेश किया है। जो वाद का भाग है और वाद के साथ पेश है।

नजरी नक्शा में प्रदर्शित रास्ता मार्क बी एफ जो राजस्व रेकर्ड में अंकित होने के आधार पर अस्तिव में रहता है। तो खेत के तीन टुकडे हो जावेगे। और फसल करने में भारी कठिनाई होगी तथा दो रास्तों के कारण जमीन बरबाद होगी तथा बाड भी चार सीवों पर करनी पडेगी तथा खसरा स. 195 में वादीगण का कुआ व रिहायसी ढाणी होने से सियालु व उन्हालु दोनो काश्त करने में कठिनाई होगी तथा हर वर्ष बाड भी मजबूती से करनी पडेगी जिसमें भी खर्चा और ज्यादा बढ जावेगी जबकि नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ रहने से किसी प्रकार की कठिनाईयों का सामना नही करना पडेगा। नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क बी एफ रास्ते में जमीन 1.12 बीघा बनती है तथा नजरी नक्शा के मार्क बी सी डी ई एफ रास्ते में 2.06 बीघा जमीन आती है। कटाणी रास्ते में 14 बिस्वा जमीन वादीगण के खेत खसरा न. 195 में से ज्यादा हो जावेगी और खसरा न. 195 में 23.14 बीघा जमीन रह जावेगी अर्थात सरकारी जमीन वादीगण की खातेदारी में नही आयेगी बल्कि वादीगण की जमीन में से गैर मुमकिन रास्ते की जमीन में बढोतरी होगी इस प्रकार सरकार को कोई हानि नही होगी और वादीगण को फायदा होगा।

वादीगण नजरी नक्शा में प्रदर्शित कटाणी रास्ता मार्क ए बी एफ की बजाय मार्क ए बी सी डी ई एफ की घोषणा करवाने के जायज व कानून अधिकारी है। तथा राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती करवाने के भी हकदार है। अतः वादीगण को दावा बाबत घोषणा खातेदारी व रेकर्ड दुरूस्ती का भी करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादीगण है कि यह घोषणा की जावे कि नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क रास्ता मार्क ए, बी एफ की जगह नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क ए बी सी डी ई एफ के खेत खसरा स. 195 की सीवं है तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती फरमावे जावें। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी इस आश्य की जारी की जावे की वे वादीगण के खेत खसरा स. 195 में से नजरी नक्शा में प्रदर्शित मार्क बी एफ पर जबरन रास्ता खुलवाकर कायम करने की कार्यवाही न तो स्वंय करे और न अन्य से करावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 01 व 02 की तरफ से जवाब पेश हुआ। प्रतिवादीगण के जवाब अनुसार रास्ते की भूमि सार्वजनिक उपयोग की

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2015 / 234
दायर दिनांक 15.12.2015 निणर्य दिनांक 23.11.2017
चुनाराम बनाम तहसीलदार वगैरा।

भूमि होती है। रास्ते की भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावें।

बहस उभय पक्षकारान सूनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादीगण का वाद आंशिक डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद मौलासर के खसरा सं0 195 में वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए बी सी डी ई एफ रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **23.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2015/234 दायर दिनांक 15.12.2015

वादी		प्रतिवादीगण
1. चुनाराम पुत्र भैराराम 2. हुक्माराम पुत्र भैराराम 3. भींवाराराम पुत्र भैराराम समस्त जाति जाट निवासीगण मौलासर तह. डीडवाना।	बनाम्	1 तहसीलदार डीडवाना 2.उप तहसीलदार मौलासर।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 23.11.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलाराम अधिवक्ता वादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद मौलासर के खसरा सं0 195 में वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए बी सी डी ई एफ रकबा 02 बीघा 06 बिस्वा कटाणी रास्ता घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 23.11.2017 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner